

संवैधानिक
समूही पत्र

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| १. संस्था का नाम | नीरसामी शिवेकालनीपुरा राजभिति। |
| २. संस्था का पूरा पता | हरदामालनीपुरा, पुवाया, शाहगाहीपुर। |
| ३. संस्था का संघर्षकान्त | उत्तर प्रदेश। |
| ४. संस्था के उद्देश्य | संस्था के निम्नांकित उद्देश्य - |

१. देश में दिल्लीलग तकी एथापना कर दिखा ताकि दिल्ली वर्ग इस वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश के लिए जागरूक करना।
२. गरीब एवं असहाय लोग, छात्राओं को दिल्लीलग, शिक्षा एवं युवाओं को व्यवस्था करना।
३. छात्र/छात्राओं के मनोरजन हेतु पुस्तकालय एवं ग्रन्थालय की व्यवस्था करना।
४. आधुनिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना, इसके लिए छात्राओं, अन्य संख्याकां का शिक्षाई, कदाई, बुनाई, पेटिटन, इत्यादि विषयों पर विद्यालय की नियुक्ति देना।
५. मेघावी छात्र/छात्राओं को वार्षिक अवसरों पर भूमिका लेना, जान बढ़ान करना एवं सारकृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ताकि छात्रवृक्ष का व्यवस्था करना।
६. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था, ज्ञानवेदन अवसरों, सर्दू अर्थी एवं कारबी शिक्षा की व्यवस्था करना।
७. समय-सामग्री पर केन्द्र अरकार, राज्य सरकार द्वारा छात्र, छात्राओं अत्याख्यकों के काल्पनिक एवं शिक्षा के विकास हेतु ग्रन्थालय जा रही कल्याणकारी चालनाओं के अपनाना एवं उनके विद्यान्वयन में सहयोग देना।
८. संस्था द्वारा धारा-१३ २० के अन्तर्गत शिक्षिका कार्य लिए जायेगे।
९. अन्य वे कार्य करना जो आधुनिक शिक्षा की उन्नति हेतु आवश्यक हो एवं सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकट की धारा-२० के अन्तर्गत हो।

कृष्णपाल चौहान

(१) *अमरलाल*

लक्ष्मी
१०१५

साहारनपुर राज्यकृष्णनाथ
प्रोफेसर एवं विद्युत
प्रौद्योगिकी विद्यालय [१०२०]
१७५

स्वामी चिकित्सनन्द ने १९६४ संग्रह लकड़ीलाल कहां पृथिवी शामिल हो।

प्रदान समिति की सूची खण्ड

2004-2005

२५०१२

क्र.	नाम व पिता/पति का नाम	पता	पद	वर्गवशम्
1.	श्री गोप्य मुख्य पुत्र श्री चक्रत्र ग्रसाद	७०८ कल्पना, १०८ नं. अमृतनगर	प्रभारी	प्रभारी
2.	श्री रमेशासर पुत्र श्री लक्ष्मी लाल	७०० कल्पना, अमृत अमृतनगर	प्रभारी	प्रभारी
3.	श्री मुजेन लाल पुत्र श्री परामृतलाल	७०१ कल्पना, १०८ नं. अमृतनगर	प्रभारी	प्रभारी
4.	श्री राम्यूदयाल पुत्र श्री डोरी लाल	७०३ जनकपुर दुर्दाला, गोहरजाहापुर	वर्गवशम्	वर्गवशम्
5.	श्री आलोक पुत्र श्री राम कुमार	८०० कल्पना पद्मराम, गोहरजाहापुर	आलोकीय	वर्गवशम्
6.	श्री अशोक लाल पुत्र श्री राम कुमार	८०० वहाइगढ़ गोहरजाहा	प्रभारी	वर्गवशम्
7.	श्री पहला पुत्र श्री गैटन लाल	८०१ लक्ष्मी लाल मुख्य गोहरजाहापुर	प्रभारी	वर्गवशम्
8.	श्री चैत्राद पुत्र श्री शकोह लाल	८०३ लक्ष्मी लाल गोहरजाहा	प्रभारी	वर्गवशम्
9.	श्री डॉ इरहनान पुत्र श्री सरदार सिंह	८०८ लक्ष्मी लाल गोहरजाहापुर	प्रभारी	वर्गवशम्
10.	श्री नन्द लाल पुत्र श्री रघुमलाल	८०८ वहाइ तहसील दुर्दाला गोहरजाहापुर	प्रभारी	वर्गवशम्

द्वितीय प्रधन

२५०१२

वर्गवशम्

नामांकन

संघ नियमित

प्रभारी

कम्ते तोषाइटी विद्व
द्वितीय प्रधन, गोहरजाहा (वर्गवशम्)

“ संज्ञोधित नियमावली ”

१. संस्था का नाम
२. संस्था का पूरा चता
३. संस्था का कार्यशील
४. संस्था सदस्यता तथा सदस्यों के टर्म —

संस्था की सदस्यता प्राप्ति करने देने आवेदन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत किया जायेगा। जिससे निर्णय के उपरान्त की कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य बन सकेगा। आवेदक का दालिंग होना आवश्यक होगा। सदस्यता का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा।

श्री सामी विकानन निष्ठा समिति।
हरदयाल कृष्णा पुण्या, शाहजहांपुर।
चत्तार प्रदेश।

आजीवन सदस्य —

समिति को एक मुठा ₹१२००/- नकद या इसके समान घल/अन्न राशि इदान बरन करे अर्थात् समिति के आजीवन भद्रस्य कहलायें। समिति को एक मुठा ₹५००/- देने वाले व्यक्ति पौर वर्ष के लिए विशिष्ट सदस्य बन सकते। संस्था को ₹५००/- अनेकप वर्ष बाद शुल्क प्रदान कर कोई श्री व्यक्ति नियमित सदस्य बन जायेगा।

५. सदस्यता की समाप्ति—
मृत्यु होने पर—

निम्नलिखित घोषाल पर सदस्यता को समाप्त हो जायेगी। वे सदस्य जिनकी किसी घारण मृत्यु हो जायेगी उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

पायलपत्र होने पर—

किसी सरकारी डायटर के हारायिसी सदस्य को पायल घोषित करने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

टॉड्डत होने पर—

वे समाप्त व्यक्ति जिनकी किसी व्यायालय में इष्टित किया हो तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

दिवालिया होने पर—

वे सदस्य जो दिवालिया घोषित हो जायेंगे उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

सदस्यता शुल्क न देने पर—
भीटिंग में अनुपस्थित—

ऐसे सदस्य जिनकी विधारित सदस्यता शुल्क जमा न होगा। लगातार तीन बैठकों में विना मूदना दिये अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति सदस्यता के पात्र न होंगे।

त्यागपत्र स्थीकृत होने पर—

यदि किसी सदस्य हाराया त्याग पत्र देने तथा उसके स्थीकार हो जाने पर।

संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर— यदि किसी सदस्य हाराया संस्था के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तथा संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।

संस्था के विवरण तथा नियमित
प्रबन्धक का नाम
प्रबन्धक का नाम

श्रामी विकानन निष्ठा समिति
प्रबन्धक (शाहजहांपुर)

(2)

संस्था के अंग :-

- (1) साधारण सभा
- (2) प्रबन्धकारिणी समिति

साधारण सभा :-

गठन :-

इस संस्था की साधारण सभा वह सभा कहलायेगी जिसमें एम्बी बगी औं सदस्यों को समिलित किया जायेगा। इन सभों सदस्यों औं अधनर भव प्रकट करने का अधिकार रहेगा।

दैर्घ्यके:-

साधारण सभों की सामान्य बैठक एवं साल में कम से कम एक बार होगी। तथा आदरशकाल होने पर कानी भी विशेष बैठक बुलाई जा सकती।

सूचना:-

ऐसा एजेंट्स जिसने बैठक का विषय तिथि, स्थान व समय अंकित हो सदस्यों के पास सामान्य बैठक को लिए कम से कम एक सप्ताह पूर्व एवं विशेष बैठक के लिए कमों तीन सप्ताह दिन पूर्व पहुँचानी आवश्यक होगी। सूचना नियम बदलने पर जारी।

पाणपूर्ति:-

साधारण सभा के कल सदस्यों की संख्या के $2/3$ बहुमत से सदस्यों की उपस्थिति ज्ञान पूर्व इसकी बैठक का बारों म पूर्ण होगा। इस प्रकार कोरम $2/3$ होगा।

विशेष वार्षिक अधिदेशान व चलानी लिखि :- यह अधिदेशान हर भाल के अन्तिम जप्ताह के प्रबन्धकारिणी समिति द्वाश निधारित तिथि पर अर्थात दिसम्बर माह के अन्तिम जप्ताह में आहुत किया जायेगा। इसमें वार्षिक बजट पर विचार होगा।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का नियंत्रण उपने सदस्यों में से करना ह।
2. संस्था के आय-व्यय पर नियन्त्रण लेना व सालाना रिपोर्ट पास करना।
3. उद्देश्यों की पूर्ति करना व नियमों में परिवर्तन करना।
4. कार्यकारिणी रामिति में विषत होने पर सभानी वी पूर्ति करना।

प्रबन्धकारिणी समिति :- इस समिति को कार्यकारिणी समिति भी कहा जायेगा जिसका गठन बैठक, कार्यम, सूचना अवधि आदि नियम प्रबन्धक रहेगी।

नियमी विवरण - २० जून

१९५४, २५६

२०५४, २५६

प्रबन्धक
सदस्यों विवरण विधि - २० जून

२०५४, २५६

प्रबन्धक
सदस्यों विवरण

२०५४, २५६

(3)

गठन :- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संचालन सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के मतों से किया जायेगा। इसमें आयोजन, उपायवक्ता, प्रबन्धक, कोषाधारी, लेखदातीयकर्ता, एवं शेष सदस्य होंगे।

गठन में समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के नामित सदस्य इस प्रकार होंगे:-

- (क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतात्र का पदेन सदस्य होगा।
- (ख) प्रबन्धतात्र के 25 प्रतिशत सदस्य अध्यापक हैं (जिसने प्राचार्य भी है)
- (ग) अध्यापक (खण्ड 'ख') में लिंगिट प्राचार्य को छोड़कर उपेष्ठता क्रम में, चड्डानुद्घाम से एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य हैं।
- (घ) प्रबन्धतात्र का एक सदस्य महाविद्यालय में तृतीय कक्ष के शिक्षणतात्र कर्मचारियों में से होगा जिसका धर्यन चड्डानुद्घाम में उपेष्ठता क्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।
- (ङ) खण्ड (ग) के उपवर्धों की अधीन प्रबन्धतात्र के बोर्ड में सदस्य द्वारा 20 के स्पष्टीकरण ले अर्थात् एक वृत्तावधि सारांश न होगा।

दैठक :- प्रबन्धकारिणी समिति की संचालन दैठक एवं विशेष योग्य वर्षावार होगी। तथा आपतकालीन स्थिति में कमी भी विशेष दैठक का आवश्यक हो सकता।

सूचना :- प्रबन्धकारिणी समिति की सूचना तीसरे दैठक योग्य एवं विशेष योग्य नहीं सूचना कम से कम 24 घण्टे पूर्व संस्कृत छात्रवाचक विषयावधि पूर्णप्राप्ति का उपर्योग। सूचना निजी वाहक द्वारा दी जायेगी।

गणपूर्ति :- यदि दैठक में सदस्यों की उपस्थिति 2/3 हो जायेगी तब दैठक दैठक के गणपूर्ति होगी। इस प्रकार करें 2/3 होगा।

रित्त स्थानों की पूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति ने किसी सदस्य का स्थान रित्त होने पर उसकी शणपूर्ति साधारण सभा के सदस्यों में से अपने सदस्यों में 2/3 वहुमत से किया जायेगा जो शाष्कार्यकाल के लिए होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. समिति का उचित रूप से संचालन करना।
2. सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार करना।
3. यह प्रबन्धकारिणी, समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों का संचालन करेगा।

कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा।

आर्द्धानीय अधिकारी

संस्कृत विभाग

साधी विभाग
प्रबन्ध विभाग
प्रबन्ध विभाग

लेख
लेख
लेख
लेख

प्रबन्धकारिणी
प्रबन्धकारिणी
प्रबन्धकारिणी

100

(4)

प्रबन्धकारिणी समिति के दंदधिकारियों के अधिकार पूर्व कर्तव्य।

- अध्यक्ष 1. समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
 2. दैठक ने सामान मत होने पर जिसी भल की अतिरिक्त एक निर्णायक भल देश।
 3. बैठकों में शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।
 4. संस्था के कार्यों का लिपिभण करना प्राप्ति सुझाव देना।
 5. संस्था के हित में कार्य करना।
 6. संस्था का सामान्य कार्य धूम करना।
- उपाध्यक्ष— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अस्थाई रूप में कार्य करेगा।
- प्रबन्धकः— 1. समिति की दैठक का आयोजन करना तथा उसकी लिपि निर्धारित भरना।
 2. दैठकों द्वारा कार्यवाही वो कार्यालय रजिस्टर ने लिपिबद्ध करना व उसको दैठक में पढ़ा कर सुनाया।
 3. संस्था को और से समस्त प्रकार के पत्र अमुहाइ करना।
 4. संस्था को प्राप्त होने वाली समस्त धनसंस्था दान, चन्दा, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
 5. संस्था के कोष का संचालन सदृश दस्तावेज से करना।
 6. समिति के असिलेखों को मुक्ता करना व उसको तयार करना।
 7. संस्था की और से होने वाली अदालती कार्यवाही की परवी करना।

लेखानिरीक्षक— संस्था से सम्बन्धित अभिलेखों की सुरक्षा एवं कार्य करना।

कोषाध्यक्ष—

यह अपने पास 100/- - 200 तक नकद रख सकता है। अधिक धनराशि को बैंक / पोस्ट अधिकारी में जमा करेगा एवं बिल दाउधर तथा रक्कम के पास करायेगा। संस्था के कोष का भंगालन ग्रावन्डक तथा कीषाव्यक्ति के साथ संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालन करना होगा।

10. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया— साधारण जमा ली दैठक में 3/2 पहुँच से परिप्रेरणा विसमें दैठक ले सदस्यों की उपस्थिति 2/3 होने की आवश्यकता पर संस्था के नियमों में परिवर्तन एवं उपनियम बनाने की कार्यवाही की जायेगी परन्तु यह परिवर्तन उस समय मान्य होने वाली अनुमति सम्बन्धित कार्यवाही से प्राप्त हो गयी हो।

मुख्यमन्त्री
प्रद्युम्न

कामी अधिकारी विकास गोप्ता
दिवाकर, शाहजहांपुर

संवादी विवरणादाता विकास गोप्ता
मुख्यमन्त्री विवरण

नाम— विवरण विवरण
विवरण विवरण

विवरण विवरण
विवरण विवरण
विवरण विवरण

विवरण विवरण
विवरण विवरण

(5)

11. संरक्षा कोष (लेखा व्यवस्था) :- समस्त श्रेत्रों से प्राप्त अनासूनि को स्थानीय गट्टीत्वात् बैंक में समिति के नाम से खाले रखे जाते हैं यदि श्रेत्री भी रामरत इनशेषिं द्वारा बड़ी जायेगी। इस खाते का सचालन संरक्षा द्वारा एवं प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष/उद्योग द्वारा समुदाय हस्तालिकों द्वारा आपरेट किया जायेगा।
12. संस्था की आय-व्यय का लेखा परिवर्तन (आडिट) :- समस्त आय-व्यय का लेखा परीक्षण किसी नव्यता प्राप्त भी ०००० प्रत्येक वर्ष अध्ययन आदेशकान्तानुसार कर्त्ता भी दरहूं जायेगी। जिसकी जांच आल्या प्रबन्धकालिकी समिति में उस्तुत की जायेगी।
13. संस्था द्वारा अध्ययन उपको विलद अदालती कार्यवाही के सचालन के उत्तरदायित्व- यदि संस्था किसी न्यायालय में कोई दाव दायर करती अथवा संस्था के विलद कोई वाद किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा दायर किया जायेगा तो इसके सचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व संरक्षा के प्रबन्धक का होगा।
14. संरक्षा के अभिलेख :- समस्त प्रकार के अभिलेखों के रख-इच्छावे में संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे—

सदरस्याता रजिस्ट्रर

कार्यवाही रजिस्ट्रर

स्टॉक रजिस्ट्रर

कैश दुक

5. संस्था के विघटन और विधित सम्बति के निस्तारण की कार्यवाही:- यदि किसी कारण से संस्था समाप्त हो जायेगी या संस्था विधित हो जायेगी, तो इस प्रकार बच्ची हुयी या/अयल सम्बति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट की धारा १३ व १४ के अनुसार की जायेगी।

दिनांक ५-०१-०८-०६
संस्था का अधिकारी
लालिता शर्मा

१०१८-१२-१०८२ दिनांक
१०१८-१२-१०८२

लिखना

संत्यग्निलिपि

संस्था के विधित सम्बति के निस्तारण की कार्यवाही
५-१-०८-०६

लालिता शर्मा

प्रमाणित अदायक रजिस्ट्रर
प्रमाणित अदायक एवं विदेश
कार्यालय देहल, दिल्ली (७०८९)
१०१८-१२-१०८२